

ई.डी.पी. अनुभाग

विषय - प्रत्येक अनुभाग में अतिरिक्त LAN पोर्ट की आवश्यकता के संबंध में।


उपरोक्त विषय के संदर्भ में, यह सूचित किया जाता है कि कार्यालय में नेटवर्क सुविधाओं को सुदृढ़ एवं सुचारु बनाने हेतु प्रत्येक अनुभाग में अतिरिक्त LAN पोर्ट की आवश्यकता का आकलन किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने अनुभाग में आवश्यक अतिरिक्त LAN पोर्ट की संख्या का यथार्थ विवरण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यह विवरण तैयार करते समय निम्न बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए:

1. अनुभाग में कार्यरत कुल उपयोगकर्ताओं (Users) की संख्या।
2. उपलब्ध कार्य-डेस्क (Desks) की संख्या।
3. प्रयुक्त प्रिंटरों (Printers) की संख्या।

उपरोक्त विवरण स्पष्ट एवं यथार्थ रूप में दिनांक - 24.06.2026 तक इस अनुभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि आवश्यक कार्यवाही समयबद्ध रूप से की जा सके।

यह पत्र सक्षम अधिकारी जी की मंजूरी से जारी किया गया है।


व.ले.प.अ. 17/06/26
ई.डी.पी.

पत्र संख्या: ई.डी.पी.सेंटर/418/Networking-NIC/2025-27/ 66-81

दिनांक :- 7 JUN 2026

1. स. निदेशक - राजभाषा
2. व. ले. प. अ. - प्रशासन, गोपनीय, स्थापना, बिल, दावा, ए.एम.जी. -I, ए.एम.जी. -II, ए.एम.जी. -III, रिपोर्ट, आ.ले.प., APCC, वित्त & विनियोग, प्रधान निदेशक सचिवालय, वेतन निर्धारण कक्ष
3. सभी सूचना पट